नजारत, व्यवहार न्यायालय, लातेहार

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–01/2015–16

दूरभाष संख्या: 06565–248413 **ईमेल:** courtmanagerlatehar@gmail.com

लातेहार जिला अंतर्गत व्यवहार न्यायालय, लातेहार में वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्न प्रकार की सामग्रियां क्रय करने हेतु प्रति ईकाई दर पर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है:–

निविदा जमा करने का स्थान :–**नजारत, व्यवहार न्यायालय, लातेहार।**

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :–**14.03.2016 अपराह्न 2:00 बजे तक**

निविदा खोलने का स्थान :–**व्यवहार न्यायालय, लातेहार।**

निविदा खोलने की तिथि :–**दिनांक 16.03.2016 को अपराह्न 2:00 बजे तक**

कम सं0	सामग्री का नाम	संख्या (अनुमानित)	दर
1	गोदरेज स्टील कार्यालय आलमीरा (स्टोरवेल प्लेन)	24 पीस	प्रति अदद
2	गोदरेज टेबल (बड़ा) टी0–104	12 पीस	प्रति अदद
3	गोदरेज टेबल (एम0) टी0–9	30 पीस	प्रति अदद
4	गोदरेज रैक	06 पीस	प्रति अदद
5	गोदरेज टेबल/बेंच (लंबा)	06 पीस	प्रति अदद
6	गोदरेज कुर्सी सी0 एच0–7 (फुल आर्म)	120 पीस	प्रति अदद
7	गोदरेज स्टूल	24 पीस	प्रति अदद
8	गोदरेज कम्प्युटर टेबल सी0–9	12 पीस	प्रति अदद
9	कम्प्युटर कुर्सी	12 पीस	प्रति अदद

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता के द्वारा अलग–अलग लिफाफा में तकनीकी भाग तकनीकी निविदा के लिफाफे में फर्म एवं प्राधिकृत विक्रेता के द्वारा अग्रधन की राशि, अद्यतन आयकर रिटर्न, बिक्री कर रजिस्ट्रेशन संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। अन्यथा तकनीकी बीड को रद्द कर दिया जायेगा तथा वित्तीय भाग में सभी सामानों का दर प्रति अदद समर्पित किया जायेगा। तकनीकी भाग खोलने के उपरांत सभी कागजात सही पाये जाने की स्थिति में वित्तीय भाग खोला जायेगा।
2. निविदादाता के द्वारा समर्पित निविदा के आधार पर गठित टेण्डर कमिटी व्यवहार न्यायालय, लातेहार के समक्ष निविदा का निस्तारण किया जायेगा। उक्त वक्त टेण्डर कर्त्ता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
3. निविदादाता को उक्त सामग्री के आपूर्ति में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव होने का प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।
4. निविदादाता को नोटरी पब्लिक से निर्गत शपथ पत्र समर्पित करना होगा, जिसमें निविदादाता के द्वारा यह स्पष्ट किया जायेगा कि उनके प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
5. सामग्री के दर में सभी प्रकार के कर यथा JST, CST एवं परिवहन व्यय आदि सम्मिलित कर सामग्रियों का दर प्रति अदद सभी मिलाकर अंकित करना होगा। अलग से किसी भी प्रकार का कर या राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. सफल निविदादाता के द्वारा आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत सभी सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने या स्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
8. निविदादाता को संबंधित कंपनी का प्राधिकृत एजेंसी होने का प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
9. सिक्योरिटी मनी 90,000/– रुपये निर्धारित किया गया है। जिसे सफल होने वाले निविदादाता को उसी वक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/एन0एस0सी0, के रूप में प्रभारी न्यायाधीश, नजारत, व्यवहार न्यायालय, लातेहार के नाम से जमा करना होगा।
10. निविदादाताओं को झारखण्ड राज्य में वाणिज्य–कर विभाग के अंतर्गत निबंधित होना आवश्यक है। जिन निविदादाताओं का निबंधन झारखण्ड राज्य में नहीं है उन्हें इस आशय का एक Undertaking अपने Letter Head पर देना अनिवार्य होगा की निविदा में सफल पाये जाने पर झारखण्ड राज्य के वाणिज्य–कर विभाग में निबंधन कराने के पश्चात् ही भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत करेंगे।
11. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में रुपये 18,000/– मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एन0एस0सी0, प्रभारी न्यायाधीश, नजारत, व्यवहार न्यायालय, लातेहार के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
12. अग्रधन के रूप में जमा राशि निविदा के अन्तिमीकरण के पश्चात् असफल निविदादाताओं को वापस कर दी जायेगी।
13. आपूर्ति आदेश का उल्लंघन होने पर सिक्योरिटी मनी की राशि जब्त कर ली जाएगी।

नोट : (1) कार्यालय अवधि में सूचना पट्ट/कार्यालय से संपर्क कर इस कार्य हेतु लागू किये गये नियम एवं शर्तों को देखा जा सकता है या लातेहार जिला के वेबसाइट www.ecourts.gov.in/latehar पर देखा जा सकता है।

ह0/– राजेश कुमार वैश्य

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
लातेहार